# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—210/2018/225 (2018/00210)

1. रामनिवास पुत्र लादू, जाति ब्राह्मण,
2. दुर्गालाल पुत्र लादू, जाति ब्राह्मण, (फौत) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती गीता पत्नि स्व0 दुर्गालाल,
   2/2— रामरतन पुत्र स्व0 दुर्गालाल,
   2/3— दिलखुश पुत्र स्व0 दुर्गालाल,
   2/4— कान्ती पुत्री स्व0 दुर्गालाल,
   2/5— मधु पुत्री स्व0 दुर्गालाल,
   2/6— सीमा पुत्री स्व0 दुर्गालाल,
   समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी धून्धरी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी पत्नी देवचंद, जाति ढोली जाति बैरवा, निवासी धून्धरी, तहसील जिला अजमेर ।
2. लाला पुत्र हजारी, जाति कहार,
3. बंशी पुत्र हजारी, जाति कहार,
4. लक्ष्मण पुत्र किशन, जाति कहार,
5. बाली पुत्री किशन, जाति कहार,
6. गलकू पुत्री किशन, जाति कहार,
7. रूकमा पुत्री किशन, जाति कहार,
8. श्योजी पुत्र कालू, जाति कहार,
9. कमला बेवा सुगना, जाति कहार,
10. रामदेव पुत्र सुगना, जाति कहार,
11. बरदी पुत्री सुगना, जाति कहार,
12. भूरी पुत्री सुगना, जाति कहार,
13. रामकन्या पुत्री सुगना, जाति कहार,
14. पुष्पा पत्नी कैलाश, जाति कहार,
15. भूला पुत्री कैलाश, जाति कहार,
16. आशा पुत्री कैलाश, जाति कहार,
17. मीना पुत्री कैलाश, जाति कहार,
18. हंसराज पुत्र कैलाश, जाति कहार,
19. पारी बैवा भूरालाल, जाति ब्राह्मण,
20. महावीर प्रसाद पुत्र भूरालाल, जाति ब्राह्मण,
21. मुकेश पुत्र भूरालाल, जाति ब्राह्मण,
    समस्त निवास धून्धरी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी ।

रेस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 1.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 22/2015.**

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 12, 13.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 11, 14 से 27 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 21.

## निर्णय

दिनांकः— 30.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकडी के आदेश दिनांक 1.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत अप्रार्थीगण/अपीलांट संख्या 1 व 2 दुर्गालाल जिसका दौराने प्रार्थना पत्र सुनवाई स्वर्गवास हो गया जिसके वारिसान अपीलांट संख्या 2/1 से 2/6 कायम किये गये है के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि वाके ग्राम धून्धरी, तहसील केकड़ी में स्थित आराजी खसरा संख्या 2481 रकबा 1.26 है0 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है तथा अप्रार्थीगण व अन्य रेस्पो0 की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2511, 2512, 2514, 2509, 2312 मे से होकर प्रार्थी की आराजी में आने जाने का रास्ता है तथा उक्त मार्ग के अलावा अन्य कोई मार्ग स्थित नहीं है लेकिन अप्रार्थीगण ने आराजी में इस रास्ते को खेत में मिलाकर तारबंदी कर ताला लगा दिया है जिसके कारण प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का रास्ता बंद हो गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश प्रदान किये जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने 1.5.2018 को निर्णय पारित कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य, सुनवाई एवं मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2018 को पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि कितना रास्ता उसको प्रदान किया जावे । इसलिये प्रार्थना पत्र अपूर्ण होकर चलने योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित है जबकि अप्रार्थीगण/अपीलांटस और उनके अधिवक्त उपस्थित नहीं हुए थे । प्रोसिडिंग से यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.3.2018 को पत्रावली जवाब व

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बहस प्रार्थना पत्र हेतु मिसल दिनांक 26.4.2018 को प्रस्तुत होने का अंकन किया गया था इसके पश्चात् पत्रावली दिनांक 26.4.2018 को नियत नहीं हुए और ना ही दिनांक 1.5.2018 बाबत् कोई प्रोसिडिंग का अंकन है । इस प्रकार पत्रावली को कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वारर 2018 कैम्प धून्धरी में नियत कर बिना विधिक कार्यवाही सम्पन्न हुए निर्णय पारित करने में अधी0न्याया0 ने भारी भूल की है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपीलांटस की आराजी में से रास्ता होना बताया है जबकि प्रार्थी का अपीलांटस की आराजी में से कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा है और ना ही उसके पूर्व खातेदार श्योजी जिसने विक्रय पत्र द्वारा वर्ष 2014 में बेचान की है, का भी कभी भी आना जाना रहा है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए पेश होने पर मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रथम रिपोर्ट दिनांक 4.11.2015 को आ चुकी थी उस रिपोर्ट पर बिना कोई आपत्ति हुए दूसरी रिपोर्ट दिनांक 16.8.2016 को मंगवाई गई । उक्त रिपोर्ट अपीलांट को बिना सूचना दिये तलब की गई है जो प्रथम रिपोर्ट के विपरीत तैयार कर भिजवाई गई है । प्रथम रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन किया गया था कि वादीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे वह आते जाते है जबकि दूसरी रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते बाबत् कुछ भी अंकित नही किया गया है । इस प्रकार दोनों रिपोर्ट में विरोधाभाष है । अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट पर आपत्तियां आमंत्रित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है । धारा 251–ए के तहत उसी खातेदार को अन्य खातेदारों की आराजी में से रास्ता दिया जा सकता है जिसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता ना हो । उक्त प्रावधान सुविधा व दूरी की दृष्टि से नहीं बनाये गये है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 के पास पूर्व में ही अपनी खातेदारी आराजी में पहुंचने के लिए खसरा नंबर 2482 जो उसकी स्वंय की खातेदारी की आराजी है तथा उसके आगे की खातेदारी रेस्पो0 संख्या 19 लगायत 21 के खसरा नंबर 2483, 2484, 2485 जो मुख्य आम रास्ता से लगती हुई है जिससे वह अपनी खातेदारी की आराजी पर आते जाते रहे है तथा उसी रास्ते का उपयोग करते है लेकिन प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2482 का अंकन नहीं किया है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजदू नया रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 649, आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 423, आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 467, आर0आर0डी0 1990 पेज 205, 188, आर0आर0डी0 1986 पेज 88 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी । प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता अधी0न्याया0 में कैम्प कोर्ट में उपस्थित नही हुए थे और ना ही उनके समक्ष प्रार्थीगण ने कोई बहस ही की थी इसके बावजूद प्रार्थी/अपीलांट की उपस्थित गलत दर्ज करते हुए दिनांक 1.5.2018 को निर्णय पारित किया है जबकि निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया था । प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता ने कई बार संबंधित प्रकरण में तारीख पेशी बाबत् रीडर से जानकारी चाही तो उन्होंने यही बताया कि अभी कैम्प कोर्ट चल रहे है सभी पत्रावलियां अस्त व्यस्त है, कैम्पों के समाप्त होने के बाद जानकारी कर लेना तब आपको बताया दिया जवोगा । कैम्प 30 जून 2018 को समाप्त होने के बाद भी जानकारी चाही तो कहा बाद में पता कर लेना पत्रावलिया पीठासीन अधिकारी के पास है । दिनांक 18.7.2018 को प्रार्थी ने

जानकारी चाही तब यह बताया कि आपके तीनों प्रकरणो में तो दिनांक 1.5.2018 को निर्णय पारित कर दिया गया है नकल ले लो सब पता लग जावेगा तब प्रार्थी ने दिनांक 18.7.2018 को प्रमाणित नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा उसी दिन नकल प्राप्त होने पर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1, 12 व 13 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । रेस्पो0 अपीलांटस की खातेदारी आराजियात में से आवागमन करते रहे है जिसे अप्रार्थीगण/अपीलांटस ने तारबंदी कर बंद कर दिया । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को जवाब हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये किन्तु इनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । तहसीलदार ने मौका रिपोर्ट में रेस्पो0 की आराजियात पर आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का स्पष्ट अंकन किया है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए के प्रावधानों के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित कर रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अभिभाषक अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2/अपीलांटस दिनांक 6.8.2015 को न्यायालय में स्वंय उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु समय चाहा । इसके उपरांत लगभग 34 पेशियों तक प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया । इसलिय अपीलांटस का यह कथन उचित नहीं है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने के नोटिस पर स्वंय रामनिवास के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि अपीलांटस को प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने की पूर्ण जानकारी थी । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है । तहसीलदार ने भू–अभिलेख निरीक्षक पारा द्वारा तैयार प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 16.8.2016 को अधी0न्याया0 को प्रेषित की है जिसमें भू–अभिलेख निरीक्षक ने अंकित किया है कि वर्तमान में चाहा गया रास्ता बंद है व फसल काश्त है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने नवीन मौका रिपोर्ट तलब की जिस पर तहसीलदार ने दिनांक 30.4.2018 को नवीन मौका रिपोर्ट तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित की है । उक्त दानों मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का विरोधाभाष नहीं है । अपीलांटस अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित थे किन्तु उनके द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार का ऐतराज पेश नहीं किया गया है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की आराजियात में आवागमन

हेतु कोई रास्ता नहीं होने से अधी0न्यांया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की मंशा के अनुरूप रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.5.2018 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.9.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर